न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–85/2026 संगणक पंजियन संख्या–1325/2026

UPGZ010030152026

गोलू तिवारी पुत्र स्व० धनन तिवारी, निवासी–ग्राम फुष्टि कलां, थाना–ईकमा, जिला–छपरा विहार, हाल पता–165 पंडित का मकान गाँव गाजीपुर, थाना–गाजीपुर, पूर्वी दिल्ली----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–47/2026
धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–कौशाम्बी, गाजियाबाद

16.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–47/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से सुनीता देवी पत्नी स्व० धनन तिवारी का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है. अभियुक्त के कहने के बावजूद उसकी जामा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा

Digitally signed by SUSHIL KUMAR
Date: 2026.03.16 17:02:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मजिस्ट्रेट के समश्र नहीं करायी गयी। अभियुक्त से कोई नाजायज वस्तु बरामद नहीं हुई है, जो भी दर्शित है वह फर्जी रूप से दर्शायी गयी है। अभियुक्त से हस्तगत प्रकरण की फर्द पर थाना हाजा में हस्ताक्षरित करायी गयी है। अभियुक्त पर धारा 50 एन०डी०पी०एस० एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। अभियुक्त शान्तिप्रिय व्यक्ति है। अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अभियुक्त एक सम्मानित परिवार का सदस्य है, अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक अभियुक्त से 04 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। अतः आवेदक अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक अभियुक्त के कब्जे से पुलिस हमराही बल द्वारा 04 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया जाना अभिवर्णित है, जो कि अवैध गांजा की वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम से काफी कम है। थाना हाजा की आख्या अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध हस्तगत प्रकरण के अतिरिक्त अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं है। आवेदक अभियुक्त हस्तगत प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। प्रस्तुत मामले के तथ्यों तथा बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक अभियुक्त को दौरान जाँच एवं विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त गोलू तिवारी की ओर से मु०अ०सं०–47/2026 धारा–8/20 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–कौशाम्बी, जिला गाजियाबाद प्रस्तुत जमानत आवेदन सं०–85/2026 स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अंकन 60,000/– रुपए के व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो विश्वसनीय, सक्षम प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि में दाखिल करने पर निम्न शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाये–

(i) आवेदक/अभियुक्त जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी, पूछताछ किये जाने हेतु न्यायालय के समक्ष उपलब्ध रहेगा।

(ii) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी

व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय में प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

(iii) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

(iv) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा।

(v) आवेदक/अभियुक्त वाद के विचारण के दौरान साक्षियों से प्रतिपरीक्षा, कथन अन्तर्गत धाराः 313 दं०प्र०सं० तथा बहस के स्तर पर कोई स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480